

Sl. No : 1764

Date : 23/09/2026

verified by : 

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

सूचना प्रचार तथा पर्यटन निदेशालय

DIRECTORATE OF IP&T

Sri Vijaya Puram, dated the 23rd September, 2026

PRESS NOTE

It is brought to notice of all concerned that the Draft Recruitment Rules for amendment of 02(two) Nos. post of News Reporter, General Central Services Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial, Level-05 (Rs. 29200-92300) borne in the Information and Publicity Department has been hoisted in the website of www.andaman.gov.in. for inviting claims/objections or comments(if any), from the stakeholders on the Draft Recruitment Rules. The claims/objections or comments should be submitted to the Director, IP&T, SVP within 30(thirty) days from the date of publishing of this Press Note. No claims and objections will be entertained after 30(thirty) days of publication of this Press Note.

Assistant Director (Admin)

F.No. 2-259/RR/IP&T/2018/2315

Copy to:

- 1) The PA to Secretary (IP&T), A&N Administration for kind information of the Secretary (IP&T).
- 2) The PA to Director (IP&T), for kind information of the Director (IP&T).
- 3) The Chief Editor, Daily Telegram, Govt. Press, Port Blair, with the request to publish the Press Note in the Daily Telegram for 02(two) consecutive days from 24.09.2026, and two copies of the edition may be forwarded to undersigned for reference and records.
- ✓ 4) The Executive Officer(SOVTECH), DBRAIT Campus, Pahargaon, Port Blair, with the request to upload the above PRESS NOTE alongwith draft notification, schedules of RRs for the post of News Reporter, in the website www.andaman.gov.in for 30 days inviting claims/objection or comments from the stakeholders.

Assistant Director (Admin)

23/9/26

23/9

File No.:A-11/2/2026-Estt-Tourism-TOURISM_AN

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

Andaman and Nicobar Administration

सूचना प्रसार एवं पर्यटन निदेशालय

Directorate of Information Publicity & Tourism

श्री विजयापुरम/Sri Vijaya Puram, dated the September, 2026

NOTIFICATION

No.....F.No.2-259/RR/IP&T/2018, in exercise of powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.U-14/3/60-ANL dated 11th April, 1960 and in supersession of all previous Notifications issued to this effect, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby **proposed** to make the following Rules to regulate the method of recruitment to Group 'C' post of **News Reporter** borne in the Information & Publicity Division of Directorate of IP&T, Andaman and Nicobar Administration, namely ;

Claims and objections are invited from stakeholders/persons to be affected thereby. The claims and objections (if any) should reach the office of Director of IP & T, A&N Administration, Sri Vijaya Puram within 30 days from the date of its publication in the official website for examination and consideration.

1. Short Title and Commencement :-

- i. These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration (Group 'C' post of News Reporter in the establishment of Information and Publicity Division) Recruitment Rule, 2026.
- ii. They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazettee.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay:-

The number of posts, its classification and the Scale of Pay attached thereto shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit and Qualification:-

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification :-

No person –

- a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
or
- b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to Relax :-

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:-

Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Schedule Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**By order and in the name of Lt. Governor
A & N Islands**

 23/5/24

**Assistant Director (Admn)
Directorate of IP & T
Andaman and Nicobar Administration**

SCHEULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF NEWS REPORTER IN THE INFORMATION AND PUBLICITY DEPARTMENT

1.	Name of post	News Reporter
2.	No. of posts	02 (Two) (2026) (subject to variation dependent on workload)
3.	Classification	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial
4.	Scale of Pay	Level-5
5.	Whether selection post or non-selection post?	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	18-33 years of male 18-38 years for female (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of application in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Education and other qualifications required for the direct recruits.	Essential - Bachelor's Degree from a recognized University with English or Hindi as main subject. - One year Diploma in Journalism. - Flair for English and Hindi writing.

		Desirable : 2 years' experience in Reporting work in a News Paper/News Agency.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?	Not applicable.
9.	Period of Probation, if any.	2 (Two) years for direct recruits. Note: A Mandatory induction training of atleast two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a DPC exists, what is the composition?	Group 'C' DPC (for considering confirmation consists of :- 1. Director (IP&T) - Chairman 2. Asst./Deputy Secretary(Perl)- Member 3. Information Officer(IP)/ Sr. Correspondent(IP) - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Note applicable

Annexure to RR

Name of Post	Job Description
News Reporter Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Collection and filing of News Stories from various sources with Photograph to the Chief Editor/Editor, 'The Daily Telegram'. Any additional work given by the superiors.

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय

श्री विजयपुरम, दिनांक ____ सितम्बर, 2026

अधिसूचना

सं. _____/फा.सं. 2-259/RR/IP&T/2018.—संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. U-14/3/60-ANL दिनांक 11 अप्रैल, 1960 के साथ पठित, और इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल (प्रशासक) द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना एवं प्रचार प्रभाग, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में पदस्थापित समूह 'ग' के समाचार रिपोर्टर (News Reporter) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, अर्थात्:—

हितधारकों/ऐसे व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, से दावे एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। दावे एवं आपत्तियाँ, यदि कोई हों, तो इस अधिसूचना के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निदेशक, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजयपुरम के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि उनका परीक्षण एवं विचार किया जा सके।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- इन नियमों को “अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (सूचना एवं प्रचार प्रभाग में समूह 'ग' के समाचार रिपोर्टर पद) भर्ती नियम, 2026” कहा जाएगा।
- ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अर्हताएँ

उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ तथा अन्य विषय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. अनर्हता

कोई भी व्यक्ति—

1. जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; अथवा
2. जिसका पति या पत्नी जीवित है और जिसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल (प्रशासक), यदि इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुमत है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी विद्यमान हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकते हैं।

5. शिथिलीकरण की शक्ति

जहाँ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल (प्रशासक) की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वे, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर आदेश द्वारा, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में शिथिलीकरण कर सकते हैं।

6. बचत

इन नियमों में ऐसा कुछ भी निहित नहीं होगा जिससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में शिथिलीकरण तथा अन्य रियायतें, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान की जानी अपेक्षित हैं, प्रभावित हों।

उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम से,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

21 जून
23/8/24
सहायक निदेशक (प्रशासन)
सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

अनुसूची

सूचना एवं प्रचार विभाग में समाचार रिपोर्टर के पद के लिए भर्ती नियम

क्र. सं.	विवरण	विनिर्देश
1.	पद का नाम	समाचार रिपोर्टर (News Reporter)
2.	पदों की संख्या	02 (दो) (2026) — कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
4.	वेतनमान	वेतन स्तर-5 (Level-5)
5.	क्या यह चयन पद है अथवा गैर-चयन पद?	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरुष के लिए 18-33 वर्ष। महिला के लिए 18-38 वर्ष। (ऊपरी आयु सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यह उन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा पांगी उप-मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में रहते हैं।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, जिसमें अंग्रेजी या हिन्दी मुख्य विषय के रूप में हो। 2. पत्रकारिता में एक वर्षीय डिप्लोमा। 3. अंग्रेजी एवं हिन्दी में लेखन की अभिरुचि एवं दक्षता। वांछनीय: समाचार पत्र/समाचार एजेंसी में रिपोर्टिंग कार्य का 2 वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी?	लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए 2 (दो) वर्ष। टिप्पणी: परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की

		अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण (Induction Training) एक पूर्वपेक्षा होगी।
10.	भर्ती की पद्धति, अर्थात् सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100% सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियाँ/ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या होगी?	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (केवल स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. निदेशक (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन) — अध्यक्ष 2. सहायक/उप सचिव (कार्मिक) — सदस्य 3. सूचना अधिकारी (सूचना प्रचार)/वरिष्ठ संवाददाता (सूचना प्रचार) — सदस्य
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं।

भर्ती नियमों के साथ संलग्नक

पद का नाम एवं कार्य-विवरण

पद का नाम	कार्य-विवरण
समाचार रिपोर्टर, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	विभिन्न स्रोतों से समाचार रिपोर्टों का फोटोग्राफ सहित संकलन एवं फाइलिंग करना तथा उन्हें 'द डेली टेलीग्राम' के मुख्य संपादक/संपादक को प्रस्तुत करना। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।